

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

21.11.2025

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

30/2015 प्रा.पत्र/2015

30.03.2015

जीसीएमएस नं.-152/2015

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-विक्रेता श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू जाति तेली निवासी चुंगी नाका दूनी तहसील देवली जिला टोंक मैसर्स मुकेश ट्रेडिंग कम्पनी चुंगी नाका दूनी तहसील देवली जिला टोंक
- 2-मैसर्स मुकेश ट्रेडिंग कम्पनी चुंगी नाका दूनी तहसील देवली जिला टोंक
- 3-श्री राकेश कुमार जैन निवासी ए-7, गंगवाल पार्क जयपुर, डायरेक्टर मैसर्स द राजस्थान इण्डस्ट्रीयल गैसेज लिमिटेड एसपी 188, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जेतपुरा, जयपुर
- 4-मैसर्स द राजस्थान इण्डस्ट्रीयल गैसेज लिमिटेड एसपी 188, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जेतपुरा, जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री पंकज कुमार साहू उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 21/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.08.2013 को समय 04:30 पी.एम. पर मैसर्स मुकेश ट्रेडिंग कम्पनी चुंगी नाका दूनी तहसील देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ-साथ कागज के कार्टून में 48 बोतल 500 एमएल पैक के सरसों तेल (राहत ब्राण्ड) दुकान की रैक में रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिथावट की शंका होने पर श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू को



फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.वी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में रखी सरसों तेल (राहत ब्राण्ड) की 500-500 एमएल की चार बोटलें वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों तेल (राहत ब्राण्ड) को ज्यों का त्यों मूल अवस्था में एक-एक बोटल के नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-576 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-576 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रशीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री श्रवण लाल साहू मैसर्स मुकेश ट्रेडिंग कम्पनी चुंगी नाका दूनी तहसील देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स द राजस्थान इण्डस्ट्रीयल गैसेज लिमिटेड एसपी 188, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जेतपुरा, जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य प्रदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/13/3131 दिनांक 24.09.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/434/एफएसएसए/2013/439 दिनांक 12.09.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया सरसों तेल (राहत ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zX) के अनुसार अवमानक




प्रतिरोक्त जिला माजिस्ट्रेट
टोंक

(Sub-standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री पंकज कुमार साहू उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। अप्रार्थी सं. 3 व 4 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस सरसों तेल (राहत ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया सरसों तेल (राहत ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



आज दिनांक 21/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन शीकरिया)
न्याय मण्डल जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज